संख्या 4–3(9) / 2012–सोमा(वैल)–सा० पत्राचार पैंशन–।।। 6881-6964
निदेशालय अनु० जाति, अ० पि० वर्ग, अल्पसंख्यक और
विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हि० प्र० शिमला

13 APR 2022
KASUMPTI SHIMLA-9

प्रेषितः

समस्त जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी
हिमाचल प्रदेश
दिनांकः–

विषयः– वृद्धावस्था पैंशन हेतु बिना किसी आय सीमा के न्यूनतम आयु 60 वर्ष करने तथा सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दरों में संशोधन बारे आवश्यक दिशा निर्देश।.

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में वृद्धावस्था पैंशन हेतु बिना किसी आय सीमा के न्यूनतम आयु 60 वर्ष करने तथा सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दरों में संशोधन बारे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0–बी0–एफ0(4)–3 / 2019 दिनांक 08.04.2022 जारी कर दी गई है जिसकी प्रति संलग्न हैं।

उक्त अधिसूचना के अनुसार ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जायेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा (पैंशन / भत्ता) नियम, 2010 के **अपात्रता नियम –6** के अंतर्गत **उप नियम–5** का अनुसरण किया जाएगा अर्थात ***"सरकारी सेवा की पैंशन ले रहे वृद्ध दम्पति अथवा आयकरदाता वृद्ध दम्पति बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगें। वृद्धावस्था पैंशन का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनमें दम्पति में से किसी को सरकारी सेवा की पैंशन न मिल रही हो अथवा दम्पति में से कोई आयकर दाता न हो ताकि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके।"***

इसके अतिरिक्त बिना किसी आय सीमा के सभी श्रेणियों के पैंशन हेतु पात्र आवेदकों को ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें और पात्र लोगों के आवेदन पत्र प्राप्त कर उन पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अनु0 उपरोक्त

निदेशक
अनु0 जाति, अ0 पि0 वर्ग, अल्पसंख्यक और
विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हि0 प्र0 शिमला

(81)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

संख्याः एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 17 मई, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम-3, नियम-4 तथा नियम-6 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम-3. परिभाषाएं:

(13) "**स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना**" से तात्पर्य वृद्धावस्था पैंशन योजना के अंतर्गत 65 (पैंसठ) वर्ष से 69 (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को दी जाने वाली पैंशन।

नियम-4. पात्रता:

वृद्धावस्था पैंशन योजना के अंतर्गत 65 (पैंसठ) वर्ष से 69 (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना किसी आय सीमा की शर्त के 1000/- रूपये प्रति माह की दर से अथवा समय-समय पर जो सरकार द्वारा पैंशन दरें निर्धारित की जाएंगी के अनुसार **स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना** की सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जाएगी।

नियम-6. अपात्रता:

उप नियम (5):
(5) सरकारी सेवा की पैंशन ले रहे वृद्ध दम्पति अथवा आयकरदाता वृद्ध दम्पति बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। वृद्धावस्था पैंशन का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनमें दम्पति में से किसी को सरकारी सेवा की पैंशन न मिल रही हों अथवा दम्पति में से कोई आयकरदाता न हो ताकि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ जरूरतमंदो को मिल सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 17 मई, 2021.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

संं0:एस0जे0ई0–बी0–एफ0(4)–3/2019 दिनांक शिमला–2 8 अप्रैल, 2022.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम–4(1), नियम–7 तथा नियम 8(2) व (3) में निम्नलिखित संशोधन करतें हैं:–

नियम 4. पात्रताः (1) वृद्धावस्था पैंशनः–

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जायेगी।

नियम 7. पैंशन / भत्ता की दरें:–

(I) 60–69 आयु वर्ग के पुरूषों और 60–64 आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1000/–रू0 प्रति माह देय होगी।

(II) 65–69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1150/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

(III) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक 01.04.2022 से वृद्धावस्था पैंशन, 1700/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

(IV) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (40–69 प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक 01.04.2022 से पैंशन/भत्ता, 1150/–रू0 प्रति माह देय होगा।

(V) 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 1700/–रू0 प्रति माह देय होगा।

(VI) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैण्डर पैंशनरों को दिनांक 01.04.2022 से भत्ता/ पैंशन 1000/–रू0 प्रति माह देय होगी ।

8/4/22

Cont..../2

नियम 8. (2) व (3): वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पैंशन प्राप्त करने की प्रक्रियाः-

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजेन्डर (अर्थात ऐसे सभी वर्ग जिन के लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।

पृष्ठांकन संख्याः :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 8 अप्रैल 2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट वुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

8/4/22
उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।